International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 04(I), October - December, 2022, pp. 231-235

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक चिन्तन की अवधारणा

डॉ. विक्रम सिंह*

प्रस्तावना

भारतीय उदारवादी विचारकों में गोपाल कृष्ण गोखले का महत्वपूर्ण स्थान है। गोपाल कृष्ण का जन्म 9 मई, 1866 को, महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले के एक छोटे से गाँव कौटलक में हुआ था। कोटलक गोपाल के नाना का घर था। उनके पिता का नाम कृष्णराव कोल्हापुर की देशी रियासत में कागल नामक स्थान पर एक क्लर्क थे। यहीं गोपालकृष्ण काल्हापुर की देशी रियासत में कागल नामक स्थान पर एक क्लर्क थे। यहीं गोपालकृष्ण गोखले की स्कूली शिक्षा प्रारम्भ हुई। यद्यपि उनकी मां अनपढ़ थी, किन्तु धार्मिक कथाएँ एवं भजन आदि उन्हें कण्ठस्थ थे। गोखले को अपनी माँ से स्मरण–शक्ति एवं पवित्र धार्मिक एवं नैतिक जीवन व्यतीत करने के संस्कार विरासत में प्राप्त हुए। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहान्त हो गया। पिता के देहान्त के पश्चात् गोखले के चाचा श्री अनन्त ने उनके परिवार की पूरी सहायता की। अपने चाचा और बड़े भाई गोविन्द के प्रत स्नेह और सम्मान का भाव गोखले में जीवनपर्यन्त बना रहा। माध्यमिक शिक्षा के लिए गोपाल कृष्ण को कोल्हापुर भेजा गया। उनके अध्ययन और रहने का सारा खर्च उनके भाई ने वहन किया। इस प्रकार गोखले का बाल्यकाल आर्थिक अभावों और कठिनाइयों में गुजरा।

1881 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उकने परिवार के सामने यह धर्मसंकट उपस्थित हुआ कि उनकी कॉलेज शिक्षा जारी रखी जाय अथवा नहीं। उन्होंने 1882 में प्रथम वर्ष (एफ.ए.) की परीक्षा कोल्हापुर के राजाराम कॉज से और दक्खन कॉलेज पूना से 1884 में स्नातक की परीक्षा ऐलफिन्टन कॉलेज, बम्बई से उत्तीर्ण की। वे असाधारण स्मरण शक्ति के धनी थे। यह उन्हें उनकी माँ से विरासत में मिली थी, जो स्वयं अनपढ़ होते हुए भी असाधारण स्मरण शक्ति के धनी थे। अपनी अद्भुत स्मरण शक्ति से गोखले सभी को चकित कर देते थे।[1] यद्यपि उन्होंने गणित में विशेषज्ञता प्राप्त की, तथापि अंग्रेजी साहित्य के प्रति उनके मन में गहरा आकर्षण था। ऐडमण्ड वर्क की पुस्तक 'रिफलैक्शन्स ऑन फ्रैंच रिवॉल्यूशन' को गोखले ने पूरी तरह कंठस्थ कर लिया था। गोखले ने व्यवसाय के रूप में शिक्षण को अपनाया और पूना की 'दक्खन ऐज्यूकेशनल सोसायटी' के आजीवन सदस्य बन गये। उन्होंने केवल 75/– रूपये मासिक वेतन पर सोसायटी की 20 वर्ष तक की सेवा करने का संकल्प लिया। गोखले को अपने इस निर्णय पर कभी पश्चाताप नहीं हुआ, और वे एक अत्यन्त प्रभावशाली, उदार और सहृदय शिक्षक हुए। 1902 में गोखले, 20 वर्ष तक समर्पित सेवा करने के उपरान्त दक्खन ऐज्यूकेशन सोसायटी सेवा से निवृत हो गये और उन्होंने पूर्ण–कालिक सार्वजनिक जीवन के एक नये चरण में प्रवेश किया।[2] गोखले और तिलक के मध्य दक्खन ऐज्यूकेशन सोसाइटी की कार्य विधि को लेकर मतभेद प्रकट होने लगा। इन मतभेदों में गोखले, आगरेकर तथा वामन शिवराम आप्टे एक ओर होते थे, तथा तिलक नामजोशी दूसरी ओर।

1885 में गोखले जस्टिस रानाडे के सम्पर्क में आए। गोखले के सार्वजनिक व्यक्तित्व को विकसित करने में रानाडे का योगदान सर्वाधिक निर्णायक सिद्ध हुआ। गोखले ने स्वयं को रानाडे का शिष्य घोषित किया और आजीवन उन्हें अपना गुरू मानते रहे। रानाड़े ने गोखले को सार्वजनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया और उकने व्यक्तित्व की आन्तरिक क्षमताओं को उजागर किया। उन्हीं के आशीर्वाद से गोखले पूना की सार्वजनिक सभा के 1888 में सचिव बनाये गये।

* सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।

गोखले के राजनीतिक विचार

- **उदारवादी आग्रह –** गोपाल कृष्ण गोखले आधुनिक भारत के निर्माताओं की उस प्रथम पीढ़ी के नेताओं में से एक श्रेष्ठ नेता है, जिन्हें सामान्यतया 'उदारवादी कांग्रेसी' कहा जाता है। गोखले ने राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और उस राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति को उत्पन्न किया जिसिके आधार पर उनके बाद गांधीजी एवं उनके सहयोगी सफलता पूर्वक राष्ट्र–सेवा का कार्य कर सके। उनके द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज (1905) तथा भविष्य के भारत में संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधारों की योजना सम्बन्धी उनके सुझावों (1915) के विवरण से भी उनके राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है।
- **ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण –** अपने गुरू रानाड़े की भांति ही गोखले की यह मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के लिए एक 'दिव्य वरदान' था। वे यह स्वीकार करते थे कि ब्रिटिश सम्पर्क के कारण भारत को लोकतांत्रिक परम्पराओं और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकरण का अनुभव प्राप्त हुआ। वे संवैधानिक सुधारों के माध्यम से ब्रिटिश संवैधानिक पद्धति को क्रमशः भारत में अपनाये जाने पर बल देते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सुचित शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता के द्वारा कालान्तर में भारतीय, शासन और शासन का स्वयं संचालन करने में समर्थ हो जायेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के नैतिक प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए गोखले ने लिखा ''इस शासन का उद्देश्य इंग्लैण्ड का लाभ नहीं अपितु भारत का नैतिक और भौतिक कल्याण था, अंग्रेज भारत में एक शासक जाति नहीं बनाना चाहते थे, वे भ्भारत में जनता की इस प्रकार की सहायता करना चाहते थे कि वह दृढ़ता से समानता की स्थिति की ओर बढ़ सकें और कालान्तर में, उच्चतर पाश्चात्य मूल्यों के अनुरूप स्वयं अपना शासन चलाने में समर्थ हो सके।[3] गोखले की यह मान्यता थी कि ब्रिटिश शासन को भारत में वास्तव में एक ''नैतिक न्यास'' के रूप में कार्यशील रखने के लिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा उदार और विवेक सम्मत अपनाई जाने की आवश्यकता थी, ताकि भारतीयों की कृतज्ञता और लगाव के प्रति इंग्लैण्ड का दावा न्यायोचित हो सके।[4] उन्होंने सुप्रीम लेजिस्लेटिव कौंसिल में कहा ''ब्रिटिश शासन का उच्चतर उद्देश्य मेरे मत में यह है कि हमें शनैः शनैः और सुनिश्चित रूप से देश के प्रशासन में भागीदारी दी जाये, ताकि कालान्तर में प्रशासन वास्तविक रूप से हमारा हो जाये।''[5] उन्होंने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में लार्ड कर्जन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, ''हमें यह अनुभव कराया जाना आवश्यक है कि हम पर शासन कर रही सरकार, विदेशी व्यक्तियों की है, किन्तु उसकी प्रकृति राष्ट्रीय है। सरकार भारतीय जनता के कल्याण को सर्वोपरि मानती है, वह भारतीयों की गरिमा को किसी अंग्रेज की गरिमा को जितना ही पवित्र मानती है, तथाअपनी समस्त क्षमताओं और साधनों को भारतीय जनता के नैतिक और भौतिक हितों की पूर्ति के लिए समर्पित कर देने के लिए तत्पर है।''[6] गोखले संकीर्ण साम्राज्यवाद और जातिगत अहंकार के घोर विरोधी थे। वे ऐसे पवित्र साम्राज्य के समर्थक थे, ''जो साम्राज्य के प्रत्येक सदस्य को उसके लाभ और सम्मन समान रूप से उपलब्ध करा सके।''[7]
- **नौकरशाही की अधिकारवादी प्रवृत्ति** का विरोध गोखले ब्रिटिश नौकरशाही की अधिकारवादी भूमिका के घोर विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय हितों की उपेक्षा करके साम्राज्यवादी हितों के प्रोत्साहन, और भारत के आर्थिक संसाधनों के ब्रिटेन को हो रहे बहाव के लिए नौकरशाही की प्रवृत्तियां व्यापक रूप से उत्तरदायी थी। उनका मत था कि अधिकारी तंत्र की भारतीय जनता के हितों के प्रति संवेदनहीनता के कारण भारत की जनता ब्रिटिश शासन के अधिकांश लाभों से वंचित हो रही थी। गोखले ने प्रशासन के विद्यमान अधिकारितन्त्रीय स्वरूप को परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिकाधिक उदार बनाया जाना उचित माना, ताकि प्रशासन में भारतीय जनता को सार्थक भागीदारी दी जा सके।[8] उन्होंने यह अनुभव किया कि सत्ता पर अधिकारियों का एकाधिकार होने के कारण ही ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीयों की न्याय सम्मत आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी।

- **राष्ट्रवाद –** गोखले का भारतीय राष्ट्रवाद में अटूट विश्वास था। महान् राष्ट्रवादी होने के नाते वे ब्रिटिश शासन के समर्थक होते हुए भी, भारतीय जनता के स्वाभिमान के प्रखर प्रवक्ता थे। वे ऐसी किसी भी स्थिति की परिकल्पना नहीं कर सकते थे जिससे कि ब्रिटिश शासन क अधीन भारतीयों को शासित जाति समझा जाये। उन्होंने अपने राष्ट्रवादी आग्रह को स्पष्ट करे हए घोषणा की ''अपनी मातृ भूमि के लिए मतेरी आकांक्षाएँ अनन्त और असीति है। मेरी आकांक्षा है कि मेरे देश के स्त्री और पुरूषों को, उच्चतम स्तर तक विकास के अवसर प्राप्त हो और उनकी उन्नति के प्रयासों में बाधाएं, प्रतिरोध और अप्राकृतिक प्रतिबन्ध नहीं लगाये जाये। मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरी यह आकांक्षा व्यवहारतः ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही पूरी हो सकती है।'' उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन के समर्थन के प्रति उनकी नीति का यह अनिवार्य पक्ष था कि वे सरकार द्वारा किये गये किसी भी गलत कार्य के विरूद्ध, पवित्र अन्तःकरण से, उपलब्ध सारे संवैधानिक साधनों के माध्यम से संघर्ष कर सके।[9] भारतक` उज्ज्वल और गरिमामय अतीत के प्रति गोखले के मन में गहरा आदर भाव था। वे भारत की प्राचीन सभ्यता, उन्नत विचारों, उत्कृष्ट दर्शन और साहित्य पर गर्व करते थे।[10] वे मानते थे राष्ट्र निर्माण के पवित्र कार्य में प्रेरणाएँ और वैचारिक सम्बल 'पूर्व' और पश्चिम के भेदभाव के बिना प्राप्त किये जाने चाहिए।
- **स्वशासन की धारणा –** गोखले की स्वशासन की परिकल्पना में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाने का भाव निहित नहीं था। वे इसी को उचित मानते थे और व्यवहारिक भी कि साम्राज्य के अधीन ही एक सम्मानित देश के रूप में भारत का स्थान सुनिश्चित किया जाए। वे भारत के शासन को भारतीयों द्वारा चलाये जाने के लिए सभी प्रकार के संस्थागत, राजनीतिक व आर्थिक सुधारों के पक्षधर थे।
- **क्रमिक सुधारों में विश्वास –** गोखले 'आदर्शोन्मुख यथार्थवादी' थे। उनका राजनीतिक यथार्थवाद उन्हें इस तथ्य को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता था कि भारत के स्वराज्य की कामना की पूर्ति तत्कालिक उद्घोषणा द्वारा नहीं, अपितु क्रमिक सुधारों के द्वारा ही हो सकती थी। उनका सुधारवादी दृष्टिकोण उन्हें दूरगामी भविष्य का कोरा स्वप्न देखने के लिए नहीं, अपितु वर्तमान और निकटगामी भविष्य पर दृष्टि रखते हुए दृढ़तापूर्वक, शनैः–शनैः भारतीय राष्ट्रवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता था। वे प्रायः एक अंग्रेजी कविता की इस पंक्ति को उद्धृत किया करते थे ''मैं उस दूरस्थ दृश्य को देखना नहीं चाहता। मेरे लिए एक कदम पर्याप्त है।''[11] वस्तुतः वे कृमिक सुधारों, और उनके साथ–साथ होने वाले जनता के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण को, भारत के स्वर्णिम भविष्य की सुदृढ़ नींव बनाना चाहते थे।**संवैधानिक साधनों में विश्वास –** गोखले राजनीतक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों को ही अपनाये जाने पर बल देते थे। आन्दोलन और संघर्ष की संवैधानिक पद्धति को, गोखले ने ऐसे साधनों द्वारा किये जाने वाले आन्दोलन के रूप में परिभाषित किया जिसमें वांछित परिवर्तन, संवैधानिक प्राधिकारियों के कृत्यों के माध्यम से किये जा सके। इसका अर्थ यह था कि वे आन्दोलन की ऐसी पद्धति में विश्वास करते थे जिसके द्वारा सत्ता की वैधता को चुनौती नहीं दी जानी हो, अपितु उसे संचालित कर रहे लोगों के विवेक को जागृत करके उन्हें जनता की न्यायसम्मत आकांक्षाओं का आदर करने के लिए प्रेरित किया जाना हो। इस दृष्टि से ''संवैधानिक साधनों'' की गोखले द्वारा दी गई परिभाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक था। ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की जो शैली गोखले ने अपनायी उसमें आग्रह, प्रार्थना–पत्र शिष्ट मण्डल, विचार विमर्श और रचनात्मक आलोचना आदि सम्मिलित थे। उनके राजनैतिक विरोधी उनकी इस नीति को ''राजनीतिक भिक्षावृति की संज्ञा देते थे, किन्तु गोखले के लिए यह भिक्षावृत्ति नहीं, अतिपु नैतिक आग्रह था। दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के आन्दोलन का समर्थन करते हुए गोखले ने कहा ''मैं ऐसा समझता हूँ और इसे व्यक्त करना आवश्यकता समझता हूँ कि ट्रांसवाल की वर्तमान परिस्थिति में गांधीजी द्वारा संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध न केवल उचित है, अपितु समस्त आत्मसम्मान–प्रिय व्यक्तियों का परम दायित्व है।''[12]

- **स्वदेशी का समर्थन, किन्तु बहिष्कार जैसे अतिवादी साधनों का विरोध–** गोखले स्वभावतः रचनात्मक राजनीति के पक्षधर थे। 'स्वदेशी' की भावना को गोखले देशभक्ति का प्रतीक और एक पवित्र विचार मानते थे। उनके लिए स्वदेशी केवल एक आर्थिक शस्त्र मात्र नहीं था, अपितु उसमें जनता की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा और आत्मसम्मान की चेतना की सकारात्मक अभिव्यक्ति निहित थी। उनकी मान्यता थी कि स्वदेशी को व्यवहार में तभी लाया जा सकता है, जबकि देश में पूँजी, उद्यम और दक्षता के क्षेत्रों में विद्यमान कमियों का निराकरण कर लिया जाये।[13] स्वदेशी व्यवहार में अपनाये जाने की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए गोखले ने चार सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
  - भारत के आर्थिक हितों को अग्रसर करने के लिए, भारत तथा अन्य देश्याों की आर्थिक दशाओं का ठोस ज्ञान अर्जित किया जाये;
  - भारतीय उद्योगपति देशी उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करायें;
  - देश में तकनीकी, वैज्ञानिक और उद्योग शिक्षा का विस्तार हो;
  - यथा–सम्भव लोगों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाये, और जनता में इस प्रवृत्ति के विस्तार के लिए व्यापक प्रचार का अभियान चलाया जाये।[14]
- **व्यक्ति के अधिकारों व स्वतंत्रता का समर्थन –** गोखले ने व्यक्ति के अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रताओं के जागरूक समर्थक थे। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1889 में प्रस्तावित संशोधन के ऐसे प्रावधानों का, जो जनता के अधिकारों को सीमित करते थे, गोखले ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में कड़ा विरोध किया। गोखले ने जनता के अभिव्यक्ति–स्वातंत्रय तथा प्रेस की स्वतंत्रता का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। उनकी मान्यता थी कि ''एक अर्थ में, प्रेस भी सरकार की ही भाँति लोकहित की संरक्षक है, तथा दमनकारी कानूनों द्वारा उसकी स्वतंत्रता पर किया जाने वाला कोई भी आक्रमण वस्तुतः लोकहित पर तो विपरीत प्रभाव डालता ही है, स्वयं सरकार की स्थिति पर भी विपरीत प्रभ्ज्ञाव डालता है।''[15] गोखले को इस बात पर गम्भीर आपत्ति थी कि ब्रिटिश सरकार में भारतीय जमनत के प्रति संवेदनशीलता का अभाव था।
- **साधनों की पवित्रता और राजनीति का आध्यात्मीकरण –** गोखले राजनीतिक गतिविधियों और सार्वजनिक जीवन में साधनों की पवित्रता के विश्वास करते थे। राजनीति में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के महान् समर्थक थे। उनके इस विचार से प्रेरित होकर ही गांधीजी उन्हें अपना 'राजनीतिक गुरू मातने थे। उन्होंने 'सर्वोन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी' की स्थापना के माध्यम से इस दिशा में संस्थागत प्रयत्न किये। वे ऐसे समर्पित लोगों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक मानते थे जो देश सेवा की उत्कट भावना से प्रेरित होकर एक धार्मिक कृत्य के रूप में जनसेवा के कार्य में पूरी तरह जुट जायें।

निष्कर्ष

भारतीय स्वतत्रिता आन्दोलन और चिन्तन को गोखले का योगदान अविस्मरणीय है। यद्यपि उनके अनेक विरोधी और आलोचक उनकी राजनीतिक शैली से सहमत नहीं थे और 'उन्हें दुर्बल हृदय उदारवादी' तक कहा जाता था; किन्तु उकने विचारों के निरपेक्ष मूल्यांकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिशशासन के प्रति समर्थन की उनकी नीति में दुर्बलता नहीं, अपितु उनका राजनीतिक यथार्थवाद और देश की जनता के हितों को सर्वोपरि महत्व देने की उनकी प्रवृत्ति उत्तरदायी थी।

उकने विषय में यह सही कहा गया है कि वे शासक और शासित दोनों के सच्चे मित्र थे। वे प्रवृत्ति से शान्तिप्रिय और समझौतावादी थे, किन्तु वे ऐसे समझौते के कभी समर्थक नहीं थे जो कि सिद्धान्तों की बलि चढ़ाकर किया गया हो ब्रिटिश जाति के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और उदारवादी मूल्यों ने उन्हें ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति का प्रखर विरोध करने वे कभी विचलित नहीं किया।

उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर उकने राजनीतिक विरोधी तिलक ने कहा, ''वे भारत के रत्न के समान थे। लालाराजपत राय ने कहा – ''वे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कांग्रेस के सर्वोत्तम तत्वों में से एक थे।'' मोतीलाल नेहरू के अनुसार ''गोखले स्व्शासन के एक महान देवदूत थे।'' उदारवादी नेता सी.वाई. चिन्तामणि के शब्दों में – ''वे एक आदर्श देशभक्त थे और हम में से अनेकों के उपास्य देव थे।'' सी.पी. रामास्वामी अय्यर के अनुसार ''घटनाओं के गुजर जाने के बाद उन पर बुद्धिमतापूर्ण ढंग से विचार करना सदैव आसान होता है, किन्तु यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि आज स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी गोखले के विचार न तो अनुपयोगी हुये है और न अप्रसांगिक ही। उकने विचार आज भी प्रसांगिक है, जबकि देश अनेकानेक आर्थिक व वित्तीय समस्याओं तथा आर्थिक नियोजन के संकट से गुजर रहा है।'' उनकी त्यागवृत्ति और देशभक्ति संदेह से परे थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पार्वते, टी.बी., गोपालकृष्ण गोखले, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1959, पृष्ठ 12
2. सूद जे.पी., मैन करंट्स ऑफ सोशल एण्ड पोलिटिकल थाट इन माडर्न इण्डिया जयप्रकाशनाथ, मेरठ, 1963, पृष्ठ 125
3. माथुर, डी.बी. गोखले : ए पोलिटिकल बायोग्राफी, बम्बई 1966, युनिवर्सल रेसेज कांग्रेस लंदन मेव जुलाई 1912 में प्रस्तुत किया गया शोध पत्र, पृष्ठ 454
4. इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउन्सिल में भाषण 29 मार्च, 1905
5. उपर्युक्त
6. पार्वते, टी.बी. : गोपाल कृष्ण गोखले, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1959, पृष्ठ 123
7. उपर्युक्त
8. नेशनल लिबरल क्लब में गोखले का भाषण 16 नवम्बर, 1905, गोखले स्पीचेज, पृष्ठ 1085
9. गोखले स्पीचेज, पृष्ठ 1151–1152
10. नेशनल लिबरल में 10 नवम्बर 1905 को दिया गया भाषण।
11. इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में भाषण, 16 मार्च 1911
12. महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, पृष्ठ 311–12
13. उपर्युक्त, पृष्ठ 822
14. गोखले स्पीचेज, पृष्ठ 1110–1111
15. माथुर, डी.पी., गोखले : ए पालिटिकल बायोग्राफी, बम्बई, 196, पृष्ठ 207

❖◆❖